उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-22/2015/449/92-1-2015-89जांच/2014,

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0 13125, यू0पी0 13126, यू0पी0 13131 के लिये अनुबन्ध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में विलम्ब किये जाने तथा अनुबन्ध गठन से पूर्व परफारमेन्स सिक्योरिटी के सत्यापन के संबंध में विद्यमान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने एवं कालान्तर में सत्यापन किये जाने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी के फर्जी पाये जाने आदि अनियमितताओं के लिये श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे विधिवत् जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन को उपलब्ध करायेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2015/449(1)/92-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व संस्थित विषयगत जॉच की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्यों सहित आरोप-पत्र तैयार कराकर एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।

7- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in